कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / पूर्ण पीठ / / 2022.लखनऊ:दिनांक::02अगस्त,2022

–::आदेश ::–

प्रभारी सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–अलीगढ़ के पत्रांक–203 / 22 दिनांक 23.07.2022 द्वारा यह सूचित किया गया है कि द्वितीय अपील सं0– 225 / 12 स0ब0 सर्वश्री न्यौली शुगर फैक्ट्री, कासगंज, वर्ष 2007–2008 प्रवेश कर दिनांक 07.06.2022 को अपने मूल नम्बर पर पुर्नस्थापित की गई है जो खण्ड पीठ से संबंधित है, द्वितीय अपील तीन माह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2022 द्वारा दिए गए हैं तथा अलीगढ़ में माह अगस्त 2022 में कोई खण्ड पीठ गठित नहीं की गई है।

अतैव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2022 का अनुपालन समयान्तर्गत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 10.08.2022 से 11.08.2022 तक अलीगढ़ में सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण में सदस्य पीठ–1 आगरा व पीठ–2 आगरा की युगल पीठ गठित की जाती है।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि द्वितीय अपील सं0–225 / 12 की सुनवाई पूर्ण कर उसका निस्तारण सुनिश्चित करें तथा अन्य युगल पीठ वादों को भी सुनवाई के लिए नियत करते हुए निस्तारण करें।

ह0 / –02.08.2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / पूर्ण पीठ / 1104 / 2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1 / 2 आगरा, पीठ–अलीगढ़।
2. मुंसरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता) / विवरण / कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।